16.11.21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] उप. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम दस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पो. अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के नाम सम्मन जारी किये जो तामील बाद प्राप्त हुए अपीलांट बावजूद जानकारी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन दावे में अपीलांटगण,

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम जारी समनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 106/2020 अमनवाज जसराज बनाम सतदेवसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2021 को उपस्थित होवे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली पेशकार द्वारा नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर